(37)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।) (माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा सं० 329/2048)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No---

Dated 25/01/2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.70hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Devlopment Department Uttarakhand / Executive Engineer, T.D.P.W.D. Bhawali (Nainital) (name of user agency) for Construction of **Shaheed Inder Singh Bargali MR TO Khansiyu** Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of **khansiyu village in Dhari tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.7 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ......1.........to...annexure...7

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी नैनीताल

Scanned with CamScanner

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector--Nainital

No---

Dated--25/01/2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.70 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D (name of user agency) for..[illegible] (purpose for diversion of forest land) in NTL district falls within jurisdiction of Khansyu village (s) in Dari tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..2.7 H.A. hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 7..annexure….

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of..Khan villages(s) is enclosed as annexure…1. to annexure….7.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Scanned with CamScanner

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Nainital (U.K.)

(39)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj Singh I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated 25/01/2021 at time 4 P.M....at Nainital in which application claiming rights in Nainital / area measuring 2.70 hect for the Construction of **Shaheed Inder Singh Bargali MR TO Khansiyua** Motor Road (5.200 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Nanital sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital

Dated: 25/01/2020

जनजाति समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

Signature

(Full name and official seal of the District Collector

जिलाधिकारी
नैनीताल

Scanned with CamScanner

विवरण :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.200 किमी0) (माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 329/2018)

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, नैनीताल

धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग (0.45 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 2.25 है0) अर्थात कुल 2.70 है0) का अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील धारी) की दिनांक 25/01/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सविन बंसल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री. धीरज सिंह गर्ब्याल	जिलाधिकारी	नैनीताल अध्यक्ष
2. श्री टी0आर0बिजूलाल	प्रभागीय वनाधिकारी वनप्रभाग नैनीताल	सदस्य
3. श्री अमन अनिरूध	समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. श्रीमती ममता सागर	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य

सदस्य जिला पंचायत 03 ओखलकाण्डा नैनीताल
जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक परियोजना हेतु 2.70 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला परिक्षेत्र के अन्तर्गतशहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.70 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी
नैनीताल।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–......
जनपद ......
उप जिलाधिकारी
धारी, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–......
जनपद......
उप जिलाधिकारी
धारी, नैनीताल

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
भवाली (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

प्रारुप–30.2

(41)

परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.200 किमी0) (माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा सं० 329/2018)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारी

उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग (0.45 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 2.25 है0) अर्थात कुल 2.70 है0) का अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारी) की दिनांक 21-1-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपरिथिति निम्नानुसार है।

1. श्री .	उपजिलाधिकारी	तहसील धारी अध्यक्ष
2. श्री	उप प्रभागीय वनाधिकारी वनप्रभाग नैनीताल	सदस्य
3. श्री केशव चन्द्र शर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. श्री किशोर कुमार	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यबाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक परियोजना हेतु 2.70 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गतशहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.70 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

किशोर कुमार
सदस्य
क्षेत्र पंचायत–ओखलकाण्डा

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी धारी, नैनीताल
तहसील–........
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
भवाली (नैनीताल)

तहसीलदार
धारी, जिला नैनीताल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
तहसील– धारी, नैनीताल
जनपद........

Scanned with CamScanner

प्रारुप–30.3

(412)

परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.200 किमी0)(माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा सं० 34/2018)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खनस्यू

तहसील धारी, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.45 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि वन पंचायत भूमि 2.25 है0) अर्थात कुल 2.70 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ओखलकाडा द्वारा दिनांक 20-1-2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खनस्यू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

(कमलेश बोहरा)
ग्राम प्रधान
ग्राम पं०–ओखलकाण्डा तल्ला
वि०ख० ओखलकाण्डा (नैनीताल)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सरपंच
वन पंचायत
ओखलकाण्डा तल्ला (नैनीताल)

Scanned with CamScanner